ICAR-CENTRAL SHEEP AND WOOL RESEARCH INSTITUTE
AVIKANAGAR (VIA:JAIPUR) RAJASTHAN-304501

F.No. 12(38)/R/2000/Vol.III/11548 Dated: 21.08.2019

Endorsement

A copy of ASRB Letter F.No.ASRB/9(2)/2019-Assessement Cell Dated 7th August,2019 received from the Deputy Secretary (R), ASRB, New Delhi is forwarded to the following for information, guidance, necessary action & compliance :-

1. All Scientists/HoDs/Incharges with request to bring the content of letter to all scientific staff working under them.
2. Head/OIC, Bikaner/Garsa/Mannavanur with request to bring the content of letter to all scientific staff working under them.
3. AKMU unit for uploading the same at CSWRI website

Further, it is requested to all eligible officers/Sr.Scientists to submit the duly completed Assessment Performa latest by 05.09.2019 positively, so that, the assessment Performa may be forwarded to ASRB for consideration of promotion.

21.8.19
(Shivji Ram Jat)
Assistant Administrative Officer

कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल
(कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग)
कृषि अनुसन्धान भवन – 1, नई दिल्ली – 110012

AGRICULTURAL SCIENTISTS RECRUITMENT BOARD

(DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION)
KRISHI ANUSANDHAN BHAWAN-I, NEW DELHI-110012

F. No./ ASRB/ 9(2)/2019-Assessment Cell

Dated the 7th August, 2019

To

All the Directors of ICAR Institutes / Project Directorates / National Research Centres / Bureaux / ATARIs and Project Coordinators.

Sub.: Revised performance evaluation/Score Card for promotions/upward movement of ARS Scientists under the revised CAS effective from 1.1.2009.

Ref.: (I) ICAR letter No. 1(1)/2009-Per.IV dated March 6, 2009.
(II) ICAR letters No. 9(1)/2010-Per.IV dated 4th November, 2011, 12th December, 2011 and letter No. 9(1)/2012-Per.IV dated 25th April, 2012.
(III) ASRB letter No. 5(3)/2012-Assess.Cell dated 29th July, 2013.

DIRECTOR CELL (Adm.I)
Diary No. 1829
Date 16/8/19

Sir/Madam,

In connection with above, I am directed to say that ASRB is going to take up the assessment cases under the Revised Career Advancement Scheme (CAS) for consideration of promotion from Sr. Scientist grade (RGP ₹ 9000) to Principal Scientist grade (RGP ₹ 10,000) in respect of such Sr. Scientists (RGP ₹ 9000/-) who have rendered 3 years of qualifying service in the grade of Sr. Scientist (RGP ₹ 9000) **upto 31-03-2019**. **Three copies of Assessment Proformae of such Sr. Scientists** (duly filled in by the Sr. Scientist himself/herself and authenticated/verified by the Director of the Institute) **may be forwarded to the Board latest by 16-09-2019.**

2. The proposals in respect of Sr. Scientists, who were considered earlier under the revised CAS for the relevant assessment period, but not recommended for promotion to the grade of Principal Scientist from the due date, will be considered **for next evaluation** as per the revised CAS after 2 years from the due date of promotion.

(**Illustration**:- Suppose, under the revised CAS, a Senior Scientist was considered to the grade of Principal Scientist for the period from 01-01-2014 to 31-12-2016 with the due date of promotion being 01-01-2017 but not recommended for promotion, the assessment proformae required to be submitted **for next evaluation** would relate to the period from 01-01-2016 to 31-12-2018 and his /her revised due date of promotion shall be 01-01-2019). **Three copies of assessment proformae of such Sr. Scientists for the revised assessment period may also be forwarded to ASRB by 16-09-2019.**

3. **The Directors of the Institutes, while forwarding the assessment proformae of the Sr. Scientists with Certificate mentioned at para 1 above, may also certify the authenticity of the attributes on each page of the assessment proformae (S.No. 1 - S.No.11-B) indicating the genuineness of the attributes in terms of actual contributions made by the concerned scientist without any duplicacy of records. Further, against Col. no. 9 of the assessment proforma of the candidate, it may be certified/endorsed whether the candidate was placed in RGP ₹ 9000 through CAS Assessment Committee or lateral entry through ASRB.**

4. **Only the proformae uploaded/available on the ASRB website** (www.asrb.org.in) may please be used for proposal. Incomplete proposal and the proposals not in the prescribed format will be rejected and will not be considered during this spell of programs for CAS.

5. As far as possible, the candidates/Sr. Scientists may furnish the information in the given space in the relevant assessment proforma only, rather than resorting to annexures. **It may also be ensured that the assessment proposals are received in ASRB on or before 16-09-2019. The proposal received after the closing date will not be considered during this spell of programs.**

6. This issues with approval of the Chairman, ASRB.

Yours faithfully

(Rajinder Kumar)
Deputy Secretary (R)

Adm. Diary 4598 17/8/19

AO Admn E

SP-3145 2549

CAO

16/8/XIX

Copy to :
1. Director (Per.), ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi
2. Under Secretary (P-IV)/Assessment Unit, ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi

Sh. MRS

सत्यमेव जयते

कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल
(कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग)
कृषि अनुसन्धान भवन – 1, नई दिल्ली – 110012

AGRICULTURAL SCIENTISTS RECRUITMENT BOARD
(DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION)
KRISHI ANUSANDHAN BHAWAN-I, NEW DELHI-110012

प्रतिभा की खोज In search of talent कृ.वै.च.मं. कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल

फा.स / कृ.वै.च.मं./ 9(2)/2019–मूल्यांकन प्रकोष्ठ

दिनांक: 07 अगस्त, 2019

सेवा में

भा.कृ.अनु.प. के समस्त संस्थानों/परियोजना निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/ब्यूरों के निदेशक/परियोजना निदेशक तथा ए.टी.ए.आर.आई. के निदेशकगण एवं परियोजना समन्वयक।

विषय : दिनांक 01/01/2009 से प्रमावी संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत कृषि अनुसंधान सेवा के वैज्ञानिकों की पदोन्नति/अपवर्ड मूवमेंट हेतु कार्य निष्पादन को संशोधित मूल्यांकन/स्कोर कार्ड।

संदर्भ:
(I) भा.कृ.अनु.प. पत्र संख्या 1(1)/2009–कार्मिक–IV दिनांक 6 मार्च, 2009
(II) भा.कृ.अनु.प. पत्रों की संख्या 9(1)/2010–कार्मिक–IV दिनांक 4 नवम्बर, 2011; 12 दिसम्बर, 2011 तथा पत्र सं. 9(1)/2012–कार्मिक–IV दिनांक 25 अप्रैल, 2012
(III) कृ.वै.च.मं. पत्र संख्या 5(3)/2012–मूल्यांकन कक्ष, दिनांक 29 जुलाई, 2013

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत वरिष्ठ वैज्ञानिक ग्रेड (आरजीपी ₹ 9000) से प्रधान वैज्ञानिक ग्रेड (आरजीपी ₹ 10,000) पर पदोन्नति के लिए कृ.वै.च.मं. उन वरिष्ठ वैज्ञानिकों के (आरजीपी ₹ 9000), जिन्होंने **31 मार्च, 2019** तक वरिष्ठ वैज्ञानिकों के ग्रेड में (आरजीपी ₹ 9000), तीन वर्षों की अर्हक सेवा पूर्ण कर ली है, मूल्यांकनों पर विचार करेगा। उक्त प्रकार के वरिष्ठ वैज्ञानिकों (वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा स्वयं भरे गए तथा संस्थान के निदेशक द्वारा सत्यापित/जांच की गई प्रतिया) के संदर्भ में मूल्यांकन प्रपत्र की तीन प्रतियां मंडल को दिनांक **16 सितम्बर, 2019** तक हर हालत में भेज दी जाए।

2. संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत संबंधित मूल्यांकन अवधि के प्रस्तावों पर पूर्व में जिन वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मामलों पर विचार किए गए, परन्तु देय तिथि (due date) से प्रधान वैज्ञानिक ग्रेड पर पदोन्नति हेतु संस्तुतियां नहीं की गई, उनके संदर्भ में देय पदोन्नति तिथि से 2 वर्ष बाद संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

(उदाहरणार्थः यदि किसी वरिष्ठ वैज्ञानिक का प्रधान वैज्ञानिक ग्रेड पर देय पदोन्नति तिथि 01/01/2017 से पदोन्नति हेतु संबंधित मूल्यांकन अवधि 01/01/2014 से 31/12/2016 के लिए मूल्यांकन किया गया परन्तु पदोन्नति हेतु संस्तुतियां नहीं दी गई, उन वैज्ञानिकों की पुनर्मूल्यांकन अवधि वर्ष 01/01/2016 से 31/12/2018 होगी और उनकी पदोन्नति की संशोधित देय तिथि 01/01/2019 होगी)। उक्त प्रकार के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के संदर्भ में भी पुनर्मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र 3 प्रतियों में कृ.वै.च.मं. को **16 सितम्बर, 2019** तक प्रेषित कर दी जाए।

3. वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मूल्यांकन प्रपत्र को उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित करते समय संस्थानों के निदेशकगण मूल्यांकन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर (क्रम सं. 1 से क्रम सं. 11बी) विषयवस्तु को प्रमाणित करें जिससे सम्बन्धित वैज्ञानिक की विषयवस्तु की सत्यता तथा वास्तविक योगदान, दस्तावेजो की डुप्लिकेसी के बिना स्पष्ट हो। कृपया आवेदक के मूल्यांकन प्रस्ताव के कॉलम सं. 9 के सम्बन्ध में यह भी प्रमाणित/पृष्ठांकित करें कि उम्मीदवार को आरजीपी ₹ 9000 में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम मूल्यांकन समिति के माध्यम से रखा गया या कृ.वै.च.मं. के पार्श्व पद्धति के माध्यम से।

4. कृ.वै.च.मं. के वेबसाइट पर (www.asrb.org.in) अपलोड किया गया प्रपत्र या वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र का ही उपयोग किया जाना चाहिए। निर्धारित फॉर्मेट में न भेजे गए प्रस्ताव तथा अपूर्ण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाएँगे और इस CAS प्रोग्राम के दौर में उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. जहां तक संभव हो उम्मीदवार/वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा सूचनाओं को संबंधित प्रपत्र में दिए गए स्थान पर ही उल्लेख किया जाना चाहिए, न कि अनुलग्नकों पर निर्भर रहें। **कृपया सुनिश्चित करें कि मूल्यांकन प्रस्ताव कृ.वै.च.मं. में दिनांक 16 सितम्बर, 2019 या इससे पूर्व प्राप्त हो जाए। अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर इस CAS प्रोग्राम के दौर में विचार नहीं किया जाएगा।**

6. यह अध्यक्ष, कृ.वै.च.मं. के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

राजेन्द्र कुमार
उपसचिव (भर्ती)

प्रति:

1. निदेशक (कार्मिक), भा.कृ.अ.प., कृषि भवन, नई दिल्ली
2. अवर सचिव (कार्मिक-IV)/निर्धारण एकक, भा.कृ.अ.प., कृषि भवन, नई दिल्ली